राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	धोकलराम बनाम कानाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/2026	104/2023 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
25/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 8 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज भौरा पुत्र पूरा की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 02 बीघा व खसरा नम्बर 136 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा ग्राम डीढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित चली आ रही है। जिसका अंकन भी खतैनी भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में भौमा पुत्र पूरा के नाम दर्ज है। आराजियात उपरोक्त वर्णित में वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 लगायत 7 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 8 व तरतीबी प्रतिवादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा भौमा के विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी होने के कारण है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण भौमा की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त वर्णित हिस्सेनुसार आराजी जेरवाद पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी संख्या 1 वादी संख्या 2 लगायत 7 एवं वादी संख्या 8 व तरतीबी प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 136 में पुख्ता अलग-अलग मकानात बना रखे है जिनमे बिजली कनैक्शन भी उनके अलग-अलग निजी लगे हुए है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 136 में ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण का शामलाती बॉरिंग स्थित है जिसमे कृषि विद्युत कनैक्शन भी वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज रघुनाथ प्रतिवादी संख्या 8 व तरतीबी प्रतिवादी के पूर्वज भूराराम एवं प्रतिवादी संख्या के नाम से लगा हुआ है जिससे वादीगण अपने हिस्से की भूमि को सिंचित करते चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पैतृक शामलाती पुराना मकान खसरा नम्बर 116 में स्थित है। कानूनन वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार भौंमा पुत्र पूरा के मरने के साथ ही उसके समस्त मौजूदा वारिसान में हक व अधिकार स्वतः ही निहित हो गये जिन्हे किसी भी प्रकार से समाप्त नही किया जा सकता, न ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त था कि वे सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करावें। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में की गई अवैध खातेदारी इन्द्राज की	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	धोकलराम बनाम कानाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी हु
704/2023		

कार्यवाही बमुकाबले वादीगण कलेअदम व बेअसर है तथा पूर्णतया अवैध होने के कारण कामय रखे जाने योग्य नही है। दिनांक 02.05.2018 को ग्राम लालगढ़ में केम्प लगने पर वादीगण ने दिनांक 29.04.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराकर खातेदारी वादीगण के हिस्सेनुसार लगवाने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को बुलाकर केम्प में रिकार्ड दुरूस्त कराने का आश्वासन दिया परन्तु दिनांक 02.05.2018 को प्रतिवादीगण ने केम्प मे चलने व रिकार्ड दुरूस्त कराने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण की उक्त हरकतों के कारण वादीगण को दावा दायर कर वादग्रस्त भूमि में अपने निहित हक व अधिकारो की घोषणा कराना व राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कराकर अपना नाम खातेदारी मे दर्ज कराना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से पैतृक खातेदारी की की भूमि का इन्द्राज अपने नाम दर्ज करा लेने के आधार पर वे वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा वादीगण को उनके हक व अधिकार की कब्जे काश्त की भूमि में नाजायज दखल कर बेदखल करने की चेष्टा मे है। यदि प्रतिवादीगण अपने नाजायज उद्देश्य में सफल हो गये तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार भी संभव नही हो सकेगी। जिसके कारण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाबत घोषणा डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की पारित की जावें कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 136 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा, कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर का वादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से, वादी संख्या 2 लगायत 7 को 1/5 हिस्से, वादी संख्या 8 व तरतीबी प्रतिवादी को 1/5 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त वर्णित हिस्सो के अनुसार इन्द्राज किया जाकर रिकार्ड में दुरूस्ती कर वादीगण के नाम का अंकन किया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 14/10/2022 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री कर दिया गया | जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हुक्म	धोकलराम बनाम कानाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
104/2023		

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनदेखी कर अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये अपीलार्थी को सुनवाई किये बिना ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावे के माध्यम से वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की सहमति प्रदान करने के आधार पर प्रकरण के तथ्यों का परिक्षण किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वाद का घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज के प्रश्नाधीन वाद को स्वीकार कर लिया गया, जो विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के विपरित जाहिर होता है | विधि के प्रावधानों के अनुसरण में प्रत्येक पक्षकार की विधिवत तामील करवाते हुये उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुती का अवसर प्रदान कर साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित कर वाद को निस्तारित किया जाना आवश्यक था, परन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी किया जाना प्रतीत होता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14/10/2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निदेशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को भी साक्ष्य प्रस्तुती एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 25/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर